न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03/2020 राजस्व अपील

1. श्रीराम पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार सिकराय ता. 06.01.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीराम मु. नं. 220/2019 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री सांवलराम मीना अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक: 16.09.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का कालवान द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नं. 1126/972 रकबा 12.96 है. में से 0.40 है. चरागाह भूमि पर सम्वत 2076 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 0601.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकार भूमि पर ना तो अतिक्रमण नहीं किया और न ही काश्त की है। पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई जवाब व सबूत पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया जबकि सजा जैसे केस में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कोई सबूत ही नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्श नहीं हुई है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 06.01.2020 निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1126/972 रकबा 0.40 है. पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पूर्ववती अतिक्रमी भी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 06.01.2020 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने सम्वत 2076 में ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1126/972 रकबा 0.40 है. पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पूर्ववर्ती अतिक्रमी भी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 06.01.2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2020 मुकदमा नम्बर 220/2019 सरकार बनाम श्रीराम यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा